



राजस्थान राजपत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

फाल्गुन 01, मंगलवार, शाके 1945-फरवरी 20, 2024
Phalgun 01 Tuesday, Saka 1945- February 20, 2024

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आजायें।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

राजस्थान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पुनर्वास योजना, 2024

अधिसूचना

जयपुर, फरवरी 19, 2024

संख्या 5314936 :-अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 यथा संशोधित अधिनियम, 2015 के तहत अधिसूचित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 यथा संशोधित नियम, 2016 के नियम 15 (1) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के पीड़ित, उनके आश्रितों के आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक पुनर्वास एवं गवाहों को तुरन्त राहत उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा निम्नानुसार "राजस्थान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पुनर्वास योजना, 2024" लागू की जाती है:-

1. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ, विस्तार : :

- 1) ये "राजस्थान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पुनर्वास योजना, 2024" कहलायेगी।
- 2) ये योजना राजपत्र में प्रकाशन होने की तिथि से सम्पूर्ण राज्य में लागू होंगे।

2. परिभाषाएँ : :

जब तक कोई बात अन्यथा प्रतीत नहीं हो तब तक निम्नानुसार दी गई परिभाषाएँ ही इस योजना के निर्वचन (Interpretation) हेतु अन्तिम होंगी-

- 1) "अधिनियम" से तात्पर्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 यथा संशोधित अधिनियम, 2015 से है।
- 2) "नियम" से तात्पर्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 यथा संशोधित नियम, 2016 से है।
- 3) "राज्य सरकार" राजस्थान सरकार से अभिप्रेत है।
- 4) "विभाग" राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से अभिप्रेत है।
- 5) "आयुक्त/निदेशक" विभाग के आयुक्त/निदेशक से अभिप्रेत है।
- 6) "पुलिस उप अधीक्षक" जिले में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के लिए पदाभिहित (Designated) पुलिस अधिकारी से अभिप्रेत है।
- 7) "प्रभारी अधिकारी" से तत्समय विभाग में योजना के क्रियान्वयन अधिकारी से अभिप्रेत है।

Swara W

- 8) "शारीरिक क्षति" से तात्पर्य स्वास्थ्य, चोट, अस्थिभंग, अंगभंग, हमला/सामूहिक हमला, मानसिक आघात, मानसिक प्रताड़ना से है।
- 9) "उत्पीड़न/हिंसा/प्रपीड़न" से तात्पर्य व्यक्तिगत/सामूहिक घटना, घटना की पुनरावृत्ति की संभावना, धमकी/प्रपीड़न/अभित्रास/उत्प्रेरणा/हिंसा की संभावनाएं आदि से है।
- 10) "आर्थिक हानि" से तात्पर्य संपत्ति का नुकसान व क्षति, फसल व अन्य वस्तु का नुकसान, आर्थिक बहिष्कार, भूमिहीनता, पारिवारिक आय, बेरोजगारी, आवासीय भूमि, कृषि भूमि, मकान की क्षति, वाणिज्यिक क्षति, विद्युत आपूर्ति की बाधिता आदि से है।
- 11) "जिलाधिकारी" से तात्पर्य विभाग के जिले/तहसील में नियुक्त/पदस्थापित विभाग के किसी भी अधिकारी से है चाहे उसकी रैंक या वेतनमान कुछ भी हो से अभिप्रेत है।
- 12) "आश्रित" से पीड़ित का ऐसा पति या पत्नी, बालक, माता-पिता, भाई और बहन से अभिप्रेत हैं जो ऐसे पीड़ित पर अपनी सहायता और भरण-पोषण के लिए पूर्णतः या मुख्यतः आश्रित हैं।
- 13) "आश्रय" से तात्पर्य पीड़ित/आश्रित/गवाह के आश्रयहीन होने अथवा वर्तमान निवास से पलायन/बेदखल करने अथवा घर की क्षति/नष्ट कर देना/जला देने की स्थिति में उनको आवास की व्यवस्था करना है।
- 14) "आज्ञापरक प्रतिकर" से तात्पर्य अधिनियम के नियम 12(4) के उपाबन्ध में वर्णित राहत राशि के अतिरिक्त अन्य प्रासंगिक अधिनियमों/योजनाओं के तहत निर्धारित प्रतिकर/भुआवजा/राहत से है।
- 15) "अतिरिक्त अनुतोष" से तात्पर्य नियम 12(4)(46) में वर्णित राहत राशि के अतिरिक्त अनुतोष से है।
- 16) "विशेष न्यायालय" से तात्पर्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 14(1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना के जरिये विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालय/अनन्य विशेष न्यायालय के साथ-साथ अन्य अधिनियमों में विनिर्दिष्ट तथा अधिनियम के अन्तर्गत अत्याचार के प्रकरणों के विचारण करने वाले विशेष न्यायालय से है।
- 17) "विशेष लोक अभियोजक" से तात्पर्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 15(1) एवं 15(2) के अधीन राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना के जरिये विनिर्दिष्ट विशेष लोक अभियोजक/अनन्य लोक अभियोजक के साथ-साथ अन्य अधिनियमों में विनिर्दिष्ट तथा अधिनियम के अन्तर्गत अत्याचार के प्रकरणों के विचारण करने वाले विशेष न्यायालय में नियुक्त/पदस्थापित विशेष लोक अभियोजक से है।
- 18) "अक्षमता/दिव्यांगता" से तात्पर्य दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 61 दिनांक 05, जनवरी 2018 में निर्धारित दिव्यांगताओं के प्रमाणन के लिए मूल्यांकन एवं प्रक्रिया के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र से है।

3. उद्देश्य ::

- 1) राजस्थान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पुनर्वास योजना, 2024 का उद्देश्य "अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 व नियम

20/2/24

1995 का प्रमुख उद्देश्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के अपमान, मान-मर्दन और उत्पीड़न को निवारित करने में सहयोग प्रदान करना है।

- 2) राजस्थान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पुनर्वास योजना, 2024 का उद्देश्य पीड़ित, उनके आश्रितों एवं गवाहों को राहत, राहत सहायता, चहुंमुखी पुनर्वास कार्यों को उपलब्ध कराना है। इसमें पीड़ित व्यक्तियों और साक्षियों के यथा विनिर्दिष्ट (धारा 15-क की उपधारा 11) में न्याय तक पहुंच के अधिकारों का समायोजन कर राज्य सरकार के विभिन्न विभागों और विभिन्न स्तरों पर, उनके अधिकारियों की भूमिका और जिम्मेदारी सुनिश्चित करना है, तथा जिसमें ग्रामीण/शहरी निकायों और गैर सरकारी संगठनों की भूमिका और जिम्मेदारी को सुनिश्चित करना है ताकि पीड़ित, उनके आश्रितों एवं गवाहों को अधिनियम एवं नियमानुसार राहत एवं सहायता प्रदान की जा सके।
- 3) राजस्थान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पुनर्वास योजना, 2024 के माध्यम से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 व नियम 1995 के अन्तर्गत घटित अपराधों के पीड़ित सदस्यों, उनके आश्रितों, हकदारियों, गवाहों एवं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के समुदायों को राहत सहायता, पुनर्वास, आर्थिक व सामाजिक सुदृढीकरण एवं विभिन्न विभागों और अधिकरणों के अधिकारियों की प्रभावी भूमिका व जिम्मेदारी सुनिश्चित की जा सकेगी।

4. लाभान्वित श्रेणी ::

राजस्थान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पुनर्वास योजना के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय के निम्नांकित इस नियम के अन्तर्गत राहत/सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे-

- 1) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(1) या 3(2) के अन्तर्गत अत्याचार से पीड़ित/परिवार।
- 2) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(1) या 3(2) के अन्तर्गत अत्याचार से प्रभावित पीड़ित, पीड़ित के आश्रित और संबन्धित साक्षी, गवाह।
- 3) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(1) या 3(2) के अन्तर्गत अत्याचार, जातीय संघर्ष से प्रभावित समुदाय।

5. पुनर्वास/राहत ::

- 1) राज्य सरकार द्वारा अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार का 50 :50 प्रतिशत अंशदान में से अधिनियम की धारा 15-क में यथा विनिर्दिष्ट न्याय तक पहुंच प्राप्त करने में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के पीड़ितों, आश्रितों एवं साक्षियों के अधिकारों, हकदारियों और गवाहों के लिए समुचित कार्यान्वयन योजना के रूप में राजस्थान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पुनर्वास योजना क्रियान्वित की जायेगी।
- 2) राजस्थान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पुनर्वास योजना के तहत वर्षित प्रावधानों के अनुरूप जिला मजिस्ट्रेट द्वारा यथा स्थिति निर्धारित बजट मद "अनुसूचित जाति

2024

(अत्याचार निवारण) 2225-01-196-(11)-[00]-12 मांग संख्या 51 तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) 2225-02-196-(10)-[00]-12 मांग संख्या 30'' में से आवश्यक राशि का उपयोग किया जायेगा।

- 3) राजस्थान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पुनर्वास योजना के तहत राशि का उपयोग निम्नानुसार वर्णित राहत/पुनर्वास कार्यों के लिए किया जायेगा-

क्र. सं.	अत्याचार का प्रकार (धारा)	राहत/पुनर्वास एवं अधिकार	भूमिका और जिम्मेदारी व विभाग	समयावधि/ पालना
1	2	3	4	5
नियम 15 (1)(क)-नकद या वस्तु रूप में अथवा इन दोनों में तत्काल राहत प्रदान करने की योजना				
(i)	धारा 3(1)(ख)	पीड़ित को तात्कालिक निःशुल्क उच्च गुणवत्तापूर्ण चिकित्सकीय उपचार जिसमें निःशुल्क दवा, खून की व्यवस्था, पूरक पोषाहार सम्मिलित है।	जिला मजिस्ट्रेट, उपखण्ड मजिस्ट्रेट, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग एवं जिलाधिकारी।	प्रथम सूचना रिपोर्ट के दर्ज होने पर अविलम्बा।
(ii)	धारा 3(2)(iii), (iv)	पीड़ित/आश्रित को 3 माह के लिए खाद्यन्न सामग्री जैसे गेहूं, चावल, दलहन आदि शामिल होंगे की निःशुल्क व्यवस्था की जायेगी।	जिला मजिस्ट्रेट, उपखण्ड मजिस्ट्रेट, जिला रसद अधिकारी एवं जिलाधिकारी।	प्रथम सूचना रिपोर्ट के दर्ज होने के अधिकतम सात दिवस में।
(iii)	धारा 3(2)(v)	हत्या व 50 प्रतिशत से अधिक अक्षमता के प्रकरण में पीड़ित/आश्रित को बर्तन इत्यादि हेतु एकमुश्त राशि एवं 3 माह के लिए खाद्यन्न सामग्री जैसे गेहूं, चावल, दलहन आदि शामिल होंगे की निःशुल्क व्यवस्था की जायेगी।	जिला मजिस्ट्रेट, उपखण्ड मजिस्ट्रेट, जिला रसद अधिकारी एवं जिलाधिकारी।	प्रथम सूचना रिपोर्ट के दर्ज होने के अधिकतम सात दिवस में।

2/2/24

(iv)	धारा 3(2)(v), 3(2)(v क)	<ul style="list-style-type: none"> अम्ल फेंकने के प्रकरणों में पीड़ित को तात्कालिक जरूरतों की पूर्ति के लिए एकमुश्त अधिकतम राशि दस हजार रुपये। निःशुल्क चिकित्सा सुविधा 	जिला मजिस्ट्रेट, उपखण्ड मजिस्ट्रेट, एवं जिलाधिकारी प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अधीक्षक, मेडिकल कॉलेज चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	प्रथम सूचना रिपोर्ट के दर्ज होने के अधिकतम सात दिवस में। अविलम्ब।
------	----------------------------------	---	--	---

नियम 15 (1-कक)-अधिनियम के अध्याय 4-क की धारा 15 क की उपधारा (11) में यथा विनिर्दिष्ट न्याय तक पहुंच में पीड़ित व्यक्तियों और साक्षियों के अधिकारों और हकदारियों के लिए एक समुचित स्कीम

क्र. सं.	अत्याचार का प्रकार (धारा)	राहत/पुनर्वास एवं अधिकार	भूमिका और जिम्मेदारी व विभाग	समयावधि/पालना
(i)	धारा-15-क पीड़ित और गवाहों के अधिकार (पीड़ित और गवाहों को अन्वेषण, जांच और विचारण के दौरान सम्पूर्ण न्याय प्राप्ति	नियम 15 (1-कक) - अधिनियम के अध्याय 4-क की धारा 15 क की उपधारा (11) में यथा विनिर्दिष्ट न्याय तक पहुंच में पीड़ित व्यक्तियों और साक्षियों के अधिकारों और हकदारियों को सम्बन्धित विभाग/अधिकारियों के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा।	जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक/ पुलिस उपायुक्त, पुलिस थानाधिकारी, अन्वेषण अधिकारी, उपखण्ड मजिस्ट्रेट, जिलाधिकारी, विशेष लोक अभियोजक, विशेष न्यायालय, विशेष न्यायालय के पीठासीन अधिकारीगण एवं	अविलम्ब।

Subodh

<p>सुनिश्चित करना) यह प्रावधान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(1) या 3(2) के अन्तर्गत वर्णित सभी अत्याचार के प्रकरणों में लागू होंगे।</p>		<p>अन्य अधिकारी तथा अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चिकित्सा अधिकारी।</p>	
<p>नियम 15(1)(ख) -कृषि भूमि तथा गृह स्थलों का आवंटन</p>			
<p>(i) धारा 3(2)(V), हत्या, मृत्यु, शत-प्रतिशत अक्षमता के सम्बन्ध में।</p>	<ul style="list-style-type: none"> यदि पीड़ित परिवार रोजगार का इच्छुक न हो और यदि मृतक/पीड़ित व्यक्ति का परिवार कृषक है एवं कृषि कार्य करना चाहता है एवं भूमिहीन है तथा परिवार की कुल वार्षिक आय 60000/- रुपये से अधिक न होने पर ग्रामीण क्षेत्र में 2 बीघा कृषि भूमि, जहां भी संभव हो वहां जिला कलक्टर द्वारा उपलब्धता के आधार पर निःशुल्क उपलब्ध कराई जावेगी परन्तु पीड़ित/आश्रित उक्त आवंटित भूमि का बेचान नहीं कर सकेगा। उपरोक्तानुसार जिले में अतिरिक्त कृषि भूमि की अनुपलब्धता की स्थिति में 	<p>जिला कलक्टर, उपखण्ड अधिकारी, विकास अधिकारी, प्राधिकरण/ नगर विकास न्यास/ नगर परिषद/ नगर पालिका/ ग्राम पंचायत</p>	<p>सम्बन्धित न्यायालय में चालान (आरोप पत्र) प्रस्तुत होने के पश्चात् अविलम्ब।</p>

20/2/24

		पीड़ित/आश्रित के गृह विहीन होने की स्थिति में उपलब्धता के आधार पर ग्रामीण क्षेत्र में 150 वर्गगज निःशुल्क आवासीय भूखण्ड एवं शहरी क्षेत्रों में 50 वर्गगज (न्यूनतम) निःशुल्क आवासीय भूखण्ड आवंटित किया जायेगा। परन्तु पीड़ित/आश्रित उक्त आवंटित आवासीय भूखण्ड का बेचान नहीं कर सकेगा।		
नियम 15 (1)(ग) एवं नियम 15 (1)(घ) - पीड़ित/आश्रितों का आर्थिक सुदृढीकरण एवं रोजगार हेतु पुनर्वास पैकेज				
(i)	धारा 3(1)(य)	पीड़ित/आश्रितों/गवाहों के गृह, ग्राम या निवास स्थान से पलायन होने पर उनको उनके मूल निवास स्थान पर पुनर्स्थापन किया जाएगा एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट के दर्ज होने के तुरन्त बाद उनके पलायन के दौरान वैकल्पिक निवास स्थान की व्यवस्था उपलब्ध करवाई जाएगी।	जिला मजिस्ट्रेट, उपखण्ड मजिस्ट्रेट एवं जिलाधिकारी। जिला प्रशासन	सम्बन्धित न्यायालय में चालान प्रस्तुत होने के पश्चात् अविलम्ब।
(ii)	धारा 3(2)(V) हत्या एवं 50 प्रतिशत से अधिक असक्षमता (निःशक्तता के प्रकरण में)	पीड़ित की संतान को राज्य सरकार के वित्त पोषित आवासीय विद्यालय/छात्रावास में पात्रता अनुसार स्नातक स्तर तक निःशुल्क अध्ययन/आवास की सुविधा उपलब्ध करवाई जायेगी। पीड़ित की सन्तानों के भरण-पोषण हेतु पालनहार योजना में पात्रता अनुसार लाभान्वित किया जायेगा। अक्षमता के प्रकरणों में पीड़ित व्यक्ति को दिव्यांग अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत निर्धारित हकों को सुनिश्चित करना। अक्षमता के प्रकरणों में पीड़ित को निःशुल्क चिकित्सीय देखभाल उपलब्ध कराना। मृतक व्यक्ति की विधवा या अन्य आश्रितों	जिला मजिस्ट्रेट, उपखण्ड मजिस्ट्रेट, शिक्षा विभाग, कॉलेज शिक्षा, जिलाधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, विशेष योग्यजन निदेशालय, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं	सम्बन्धित न्यायालय में चालान प्रस्तुत होने के पश्चात् अविलम्ब।

Below

	<p>में से एक सदस्य तथा स्थायी अक्षमता से पीड़ित व्यक्ति को पात्र होने पर प्राथमिकता से ऋण सुविधा एवं निम्न अनुज्ञापत्र आवंटित किए जा सकेंगे:-</p> <p>अनुसूचित जाति/जनजाति वित्त विकास सहकारी निगम के माध्यम से स्वरोजगार हेतु शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर (5 वर्ष के लिए) 2 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराना अथवा</p> <p>उचित मूल्य की दुकान डीलरशिप अथवा</p> <p>स्थानीय निकायों की दुकानों/कियोस्क का निःशुल्क आवंटन अथवा</p> <p>डेयरी बूथों का आवंटन।</p>	<p>स्वास्थ्य अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग</p> <p>परियोजना प्रबन्धक, अनुसूचित जाति/ जनजाति वित्त विकास सहकारी निगम।</p> <p>जिला रसद अधिकारी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग,</p> <p>नगर निगम/ नगर परिषद/ नगर पालिका,</p> <p>राजस्थान कॉर्पोरेशन डेयरी फेडरेशन लिमिटेड</p>	
<p>नियम 15(1)(ड.)-विधवाओं, मृतक के आश्रित बालकों, दिव्यांग व्यक्तियों या अत्याचार से पीड़ित वृद्धों के लिए पेन्शन स्कीम</p>			
(i)	<p>धारा 3(2)(V) शत-प्रतिशत अक्षमता एवं हत्या के प्रकरणों में</p>	<p>मृतक व्यक्ति की विधवा या अन्य आश्रितों को प्रति माह पांच हजार रुपये की मूल पेंशन के साथ अनुजेय महंगाई भत्ता, जैसा राज्य सरकार के सरकारी सेवकों को लागू है को देय होगी और शत-प्रतिशत अक्षमता के प्रकरणों में स्वयं पीड़ित या उसके आश्रित को समान राशि की पेंशन देय होगी।</p>	<p>जिला मजिस्ट्रेट एवं जिलाधिकारी।</p> <p>सम्बन्धित न्यायालय में चालान प्रस्तुत होने के पश्चात् अविलम्ब।</p>
<p>नियम 15(1)(घ)- पीड़ितों के लिए आज्ञापरक प्रतिकर (Mandatory Compensation)</p>			

Handwritten signature/initials

(i)	<p>धारा 3(1)(क) लगायत 3(1)(यग) तथा धारा 3(2){(i) लगायत (Vii)}</p>	<ul style="list-style-type: none"> • नियम 12(4) के उपाबन्ध-1 के अन्तर्गत देय राहत राशि प्रदान की जावेगी। परन्तु नियम 12(4)(46) एवं (47) के अन्तर्गत संदत्त अनुतोष को आज्ञापरक प्रतिकर में शामिल नहीं किया जाएगा। • नियम 12(4) के प्रावधानों के अतिरिक्त विभिन्न अपराधों में पीड़ित पुरुष/महिला/बच्चों को अन्य प्रासंगिक अधिनियमों/योजनाओं के तहत प्रतिकर/मुआवजा उपलब्ध कराने हेतु समुचित कार्यवाही की जायेगी। 	<p>जिला मजिस्ट्रेट, उपखण्ड मजिस्ट्रेट, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिलाधिकारी।</p>	<p>प्रथम सूचना रिपोर्ट के दर्ज होने के 7 दिवस की अवधि में।</p>
-----	---	---	--	--

नियम 15(1)(झ)-स्वास्थ्य की देखभाल, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति, विद्युतीकरण, पर्याप्त पेयजल सुविधा, अंत्येष्टि स्थल तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्राकृतिकवास तक सम्पर्क मार्ग जैसी सुविधाएँ।

(i)	<p>अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(1) या 3(2) के अन्तर्गत वर्णित सभी अत्याचार के प्रकरणों में लागू होने के साथ अनुसूचित जाति और</p>	<ul style="list-style-type: none"> • हिंसा/अत्याचार से पीड़ित व्यक्ति को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा राजकीय चिकित्सालयों में उपलब्ध करवाई जावेगी। • अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय के आवासीय बस्ती एवं हिंसा प्रभावित परिलक्षित क्षेत्रों में पानी, बिजली, चिकित्सा जैसी मूलभूत सुविधाएँ एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति एवं उनके प्राकृतिक आवास तक आवागमन का रास्ता उपलब्ध कराने की व्यवस्था निर्धारित मापदण्डों के अनुसार की जायेगी। • अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति 	<p>जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक/ पुलिस उपायुक्त, उपखण्ड मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, अधिशाषी अभियंता, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग/ राजस्थान राज्य विद्युत वितरण निगम, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, थानाधिकारी, गृह</p>	<p>अविलम्ब। चिकित्सा एवं जल व्यवस्था अविलम्ब एवं अन्य अधिकतम सात दिवस में। अविलम्ब।</p>
-----	--	---	---	---

2/2/24

अनुसूचित जनजाति समुदाय के लिए आवश्यक व्यवस्थाएँ।	समुदाय के व्यक्तियों की अन्त्येष्टी हेतु अन्त्येष्टी स्थल के उपयोग की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।	विभाग एवं जिला प्रशासन।	
---	---	----------------------------	--

6. राहत/पैकेज स्वीकृत करने की प्रक्रिया ::

- 1) जिला मजिस्ट्रेट, किसी पीड़ित/आश्रित या अन्य व्यक्ति/संगठन से अथवा अपनी ही जानकारी से सूचना प्राप्त करता है कि उसकी अधिकारिता के भीतर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों पर अत्याचार किया गया है तो तुरन्त वह अत्याचार से हुये जीवन हानि, सम्पत्ति हानि और नुकसान की सीमा को निर्धारण करने के लिए धारा 6(1) के पालना के तहत पीड़ित व्यक्ति/परिवारों को अत्याचार से हुये जीवन हानि, सम्पत्ति हानि और नुकसान की सीमा को निर्धारण करने के लिए स्वयं या उपखण्ड मजिस्ट्रेट/कार्यपालक मजिस्ट्रेट/पुलिस उपअधीक्षक को घटना स्थल पर भेजेगा।
- 2) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों पर अत्याचार के प्रकरणों में पुलिस थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के उपरान्त प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस उपअधीक्षक के अतिरिक्त जिलाधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को प्रेषित की जायेगी।
- 3) जिला मजिस्ट्रेट/उपखण्ड मजिस्ट्रेट/कार्यपालक मजिस्ट्रेट/पुलिस उप अधीक्षक द्वारा जीवन हानि/शारीरिक क्षति का आंकलन, उत्पीड़न/हिंसा/प्रपीड़न का विस्तृत आंकलन, सम्पत्ति हानि/आर्थिक हानि का आंकलन तथा अति-संवेदनशीलता, शैक्षणिक पृष्ठभूमि का आंकलन, सामाजिक व सांस्कृतिक स्तर का आंकलन, आरोपी, उसका परिवार, उसके समुदाय एवं अन्य प्रभावशाली व्यक्तियों का विस्तृत आंकलन और नुकसान/हानि की सीमा के निर्धारण सम्बन्धी रिपोर्ट राज्य सरकार एवं जिला मजिस्ट्रेट को तत्काल प्रस्तुत की जायेगी।
- 4) जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 यथा संशोधित नियम 2016 के नियम 6(2) में वर्णित बिन्दुओं पर कार्यवाही की जाकर उपयुक्त राहत और पुनर्वास पैकेज जारी किया जायेगा।
- 5) जिला मजिस्ट्रेट द्वारा उक्त रिपोर्ट के आधार पर इस नियम के बिन्दु संख्या 5 (3) पर वर्णित राहत/सहायता में से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 यथा संशोधित नियम 2016 के नियम 15(1)(क), 15(1)(कक), 15(1)(ग) एवं 15(1)(झ) के सम्बन्ध में राहत/सहायता प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के उपरान्त तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 यथा संशोधित नियम 2016 के नियम 15(1)(ख) एवं 15(1)(ग) के सम्बन्ध में राहत सम्बन्धित न्यायालय में चालान/अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत होने उपरान्त राहत प्रदान करने के लिए जिलाधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को आदेश जारी करेगा।

Signature

- 6) जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्धारित बजट मद में से राहत/सहायता राशि जारी करने के क्रम में यथास्थिति अनुसार आवश्यक स्वीकृति जारी की जायेगी।
 - 7) जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आवश्यक स्वीकृति किए जाने के उपरान्त जिलाधिकारी द्वारा आवश्यक राहत/सहायता राशि जारी की जायेगी।
 - 8) जिला मजिस्ट्रेट द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि पीड़ित व्यक्ति/आश्रित को निर्धारित समयावधि में अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम 1995 के नियम 12 (4) तथा अनुसूची-1 के अन्तर्गत देय आर्थिक राहत/सहायता एवं व्यवस्थाएँ उपलब्ध हो।
 - 9) नियम के बिन्दु संख्या 5 (3) पर वर्णित राहत में से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 यथा संशोधित नियम 2016 के नियम 15(1)(क), 15(1)(कक), 15(1)(ग) एवं 15(1)(झ) के सम्बन्ध में राहत/सहायता राज्य के जिस जिले में अपराध कारित हुआ है, के जिला मजिस्ट्रेट एवं सम्बन्धित अधिकारी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के उपरान्त तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 यथा संशोधित नियम 2016 के नियम 15(1)(ख) एवं 15(1)(ग) के सम्बन्ध में राहत/सहायता राज्य के जिस जिले में पीड़ित/आश्रित निवासरत हैं, के जिला मजिस्ट्रेट एवं सम्बन्धित अधिकारी द्वारा सम्बन्धित न्यायालय में चालान/अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत होने के उपरान्त राहत/सहायता उपलब्ध करवाई जायेगी।
 - 10) जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इन नियमों के तहत राहत/सहायता प्रदान करने के दौरान यह सुनिश्चित किया जायेगा कि पीड़ित/आश्रित व्यक्ति को उपरोक्त वर्णित राहत/सहायता में से अधिकतम राहत/सहायता प्रदान करने वाले प्रावधान के तहत लाभान्वित किया जायेगा।
 - 11) जिला मजिस्ट्रेट द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि जिन प्रकरणों में पेन्शन स्वीकृति की गई है, उनके आश्रित/पीड़ित को यथा समय पेन्शन का लाभ मिले।
 - 12) जिला मजिस्ट्रेट द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि 40 प्रतिशत से अधिक अक्षमता के प्रकरणों में पीड़ित व्यक्तियों तथा उनके आश्रितों को दिव्यांग अधिकार अधिनियम, 2016 के प्रासंगिक प्रावधानों एवं दिव्यांग-जन (निःशक्तजन) के लिए केन्द्र/राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के कृत्रिम उपकरण, पेन्शन, स्वरोजगार से जोड़ने हेतु सहायता के अतिरिक्त अन्य देय सुविधाएँ उपलब्ध हो।
 - 13) जिलाधिकारी निर्धारित राहत और पुनर्वास सहायता के लिए सम्बन्धित विभाग/एजेन्सियों से प्रभावी समन्वय स्थापित कर तत्काल आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।
7. अनुवर्तन/संचालन/समीक्षा ::
- 1) योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तर पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान एवं जिला स्तर पर जिलाधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग क्रियान्वयक अभिकरण के रूप में कार्य करेंगे। जिले में जिलाधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा आहरण वितरण अधिकारी के रूप में कार्य करते हुए समस्त आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

Handwritten signature/initials

- 2) योजना के संचालन/क्रियान्वयन में लापरवाही अथवा शिथिलता बरती जाने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा संबंधित अधिकारी/कार्मिक के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
8. विवेचन एवं संशोधन ::
इन दिशा निर्देशों के निर्वचन एवं विवेचन के लिए आयुक्त/निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग सक्षम होंगे तथा इसमें संशोधन राज्य सरकार द्वारा किया जा सकेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

कुलदीप रांका,

अतिरिक्त मुख्य सचिव,

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।

LSW